

30.07.2012 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 3948/2 रकबा 0.95 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम खुर्रमपुरा तहसील श्रीमाधोपुर को मूल वाद पत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प-फुटाला के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।

Gm

(ब्रह्म लाल जाट)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैम्प:-फुटाला